210

संख्या–२६५/xxxii(1)/01(दो)–71/निर्माण/प्लान/2012–13

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक २० मार्च, 2013

विषयः– **विधान सभा भवन में माननीय सभा सचिवो के कार्यालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष विकसित करने के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–2, देहरादून के पत्रांकः–77/सु0वि0गृ0ख0–2/वि0स0/दिनांक 23–01–2013 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विधान सभा भवन में माननीय सभा सचिवो के कार्यालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष विकसित करने के कार्य हेतु** वित्तीय वर्ष **2012–2013 में ₹ 3.90** लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत **₹ 2.40** लाख (**₹ दो लाख, चालीस हजार** मात्र) एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार **₹ 1.02** लाख (**₹ एक लाख, दो हजार** मात्र) अर्थात **₹ 3.42** लाख (**₹ तीन लाख, बयालीस** हजार मात्र) की धनराशि के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष **शासनादेश संख्या–681/xxxii(1)/01 (एक)–01/2012/बजट–मुख्य/2012–13 दिनांक 25 अप्रैल 2012 एवं अलोटमेंट आईडी–H1204070616 दिनांक 24 अप्रैल 2012 एवं शासनादेश संख्या–1099/xxxii(1)/01(एक)–01/2012/बजट–मुख्य/2012–13 दिनांक 09 जुलाई 2012 एवं अलोटमेंट आईडी–H1206072411 दिनांक 28 जून 2012 तथा शासनादेश संख्या–62/xxxii(1)/01 (एक)–01/2012/बजट–मुख्य/(प्रथम अनुपूरक) 2012–13 दिनांक 10 जनवरी 2013** एवं अलोटमेंट आई डी–**H**1301070150 दिनांक 04 जनवरी 2013 **द्वारा आपके निर्वतन पर** रखी गई धनराशि में से **इतनी ही** धनराशि **₹ 3.42** लाख (**₹ तीन लाख, बयालीस हजार** मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वरिष्ठ **वित्त अधिकारी, इरला चैक, उत्तराखण्ड शासन** द्वारा, धनराशि **₹ 3.42** लाख (**₹ तीन लाख, बयालीस हजार** मात्र) का आहरण कर चैक/बैंक ड्राफ्ट **अधिशासी अभियन्ता**, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–2, यमुना कालोनी **देहरादून** के नाम बनाते हुए उन्हे उपलब्ध कराया जायेगा ।

3– **मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग प्रस्तर–1** में स्वीकृत धनराशि **₹ 3.42** लाख (**₹ तीन लाख, बयालीस हजार** मात्र) का **निम्न शर्तो** के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

4– निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2012–2013 में प्रारम्भ कर पूर्ण करा लिया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता, का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की अनुमन्यता निर्धारित मानकों के अनुसार है, यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय।

8– कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/xxvii(7)/2008 दिनांक **15–12–2008 के अनुसार एम0ओयू0 किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

9– कार्यदायी संस्था द्वारा **संतोषजनक/संतुष्टिपरक गुणवत्ता पूर्वक** कार्य पूर्ण किये जाने का **प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10– यदि कार्यो हेतु पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

11– आवासीय/अनावासीय भवनों में **अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण कार्यो हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित** किया जाय।

12– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

13– उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों का कय एवं भुगतान के संबंध में **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008** में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायें।

15– आगणन जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गई है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय नही की जाय।

16– आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।

17– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।

18– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2012–2013 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय–**आयोजनागत**–02–शहरी आवास –800–अन्य भवन–**03–राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा** आवासीय/**अनावासीय भवन निर्माण**–24–वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 122**P**/xxvII(1)/2012,दिनांक 19 मार्च 2013 में प्राप्त निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या–264/xxxii(1)/**01(दो)–71/निर्माण**/प्लान/2012–13 तददिनांक ।

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– **वित्त अधिकारी**, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, **23 लक्ष्मी रोड**, डालनवाला।
3– **मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग** देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता, **लखवाड़ व्यासी निर्माण** मण्डल–**प्रथम** देहरादून।
5– **अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड–2, यमुना कालोनी देहरादून।**
6– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, सीनियर ग्रेड राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि **एन.आई.सी.** में अपलोड करायें।
7– मुख्य व्यवस्थाधिकारी,राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– **सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग–4,** उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक **एन.आई.सी** सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0एस0 बिष्ट)
उप सचिव।